अन्तर्गत न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1383 / 2026

मुनेश कुमार बनाम् बिहार सरकार

09.07.2026 आवेदक मुनेश कुमार, पे0–शंकर पासवान, जिसे मुफ़स्सिल थाना कांड सं0–153 / 2026, अन्तर्गत धारा 137(2),96,351(2),3(5) भा0 न्या0 सं0, में गिरफ़्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी सूचक अमरजीत पासवान के आवेदन–पत्र के आधार पर आवेदक सहित अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध संस्थित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 25.03.2026 को समय 01.00 ए0 एम0 से 03.00 ए0 एम0 के बीच उसकी नाबालिग पुत्री अंशू कुमारी, उम्र–15 वर्ष घर से लापता है। मालूम होने पर खोज–बीन के क्रम में पता चला कि उसके ग्राम का अमन कुमार, सुमन कुमार, सरिता देवी, मुनेश कुमार, गोलू कुमार एवं अन्य बहला–फुसलाकर लेकर चला गया है। अमन कुमार के घर जाकर पूछ–ताछ किया गया तो अमन की मां के द्वारा बताया गया कि उसका बेटा उसकी बेटी को लेकर चला गया है, जहां जाना है जाओ।

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमिताभ भारद्वाज अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र को प्रचालित करते हुए कथन किये कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं एवं कोई अपराध नहीं किया है तथा दुश्मनी एवं द्वेष के कारण इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वास्तविक तथ्य यह है कि पीड़िता अंशू कुमारी अपनी मर्जी से अमन कुमार के साथ गई और उससे शादी भी कर ली। आवेदक का अमन कुमार या उसके परिवार से कोई संबंध नहीं है। आवेदक सूचक का ग्रामीण एवं गोतिया है एवं दोनों परिवार के बीच भूमि विवाद है तथा विभाजन वाद सं0–131 / 2025 लम्बित है जिसमें आवेदक के पिता वादी एवं सूचक के पिता एक प्रतिवादी है। उपरोक्त शत्रुता के कारण आवेदक को इस मामले में अनावश्यक घसीटा गया है। आवेदक के पलायन एवं उसके द्वारा साक्ष्य के साथ छेड–छाड़ की भी संभावना नहीं है तथा वह बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को उसकी गिरफ़्तारी या निम्न न्यायालय में आत्म समर्पण करने की स्थिति में जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध किए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक के विरूद्ध वाद के अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक की नाबालिग लड़की अंशू कुमारी, उम्र–15 वर्ष को बहला–फुसलाकर लेकर चले जाने का आरोप लगाया गया है। उपरोक्त तथ्यों का समर्थन केस दैनिकी की कंडिका 2 में वादिनी ने अपने पुनः बयान में एवं कंडिका 3, 7, 8, 9 में साक्षियों ने अपने–अपने बयान में किया है। केस दैनिकी में बिहार विद्यालय परीक्षा समीति, पटना द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र उपलब्ध है जिसमें अंशू कुमारी का जन्म तिथि 01.01.2011 अंकित है। इस प्रकार

Web Copy

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1383/2026

लगातार

09.07.2026 पीड़िता अव्यस्क है। इस वाद की पीड़िता अभी तक बरामद नहीं हुई है। आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति गंभीर है एवं वाद अभी अनुसंधान की अवस्था में है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आरोप की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक मुनेश कुमार की अग्रिम जमानत की प्रार्थना को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम

Web Copy